(a) whether it is a fact that there has been a public demand as well as demand from some Members of Parliament and Members of Legislative Assembly of Orissa for opening of a Hydrological Observation and Flood Forecasting unit at Bhubaneshwar under the Central Water Commission; and

(b) if so, what action has been taken by Government to open the unit at Bhubaneshwar?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND): (a) Some Members of Parliament and State Legislature are requesting for opening of a Hydrological and Flood Forecasting Circle at Bhubaneshwar under the Central Water Commission.

(b) In view of the need to economise the expenditure, it may not be possible to open a new Circle at Bhubaneshwar in the near future. However, the flood forecasting work in Orissa is being carried out by the existing Divisions under the Central Water Commission.

शहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि का खरीदा जाना

3453. **श्री सत्यपाल मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल के वर्षों में गैर-खेती पेशा शहरी लोगों ने देश के कई भागों में छोटे गरीब किसानों से बड़े पैमाने पर कृषि योग्य भूमि को खरीदकर उस पर यूकिलप्टस के पेड़ लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे रोकने के लिये कोई उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या इससे अनाज की पैदावार पर पड़ने वाले फर्क के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव): (क) राज्य सरकारों केन्द्रशासित प्रशासनों से अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर, ऐसा पता चलता है कि चण्डीगढ़ तथा पाण्डिचेरी के केन्द्रशासित क्षेत्रों और मणिपुर, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों से यूकिलप्टस के पेड़ लगाने के लिए बड़े पैमाने पर कृषि भूमि खरीदने के ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है ।

अन्य राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नलिखित है :

अरूणाचल प्रदेश: ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

गुजरात : ऐसा कोई आम रूख नहीं देखा गया । तथापि, राज्य सरकार मशीनरी यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क है कि कृषकों से गैर-खेती पेशा लोगों को भूमि के अवैध हस्तान्तरण को कम किया जाए ।

हरियाणा : राज्य सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

हिमाचल प्रदेश : राज्य के भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषिकों द्वारा भूमि की खरीद पर पूर्ण पाबन्दी है । किसी विशिष्ट सीमा तक गैर-कृषकों द्वारा भूमि की खरीद केवल राज्य की पूर्व अनुमति से की जा सकती है जोकि औद्योगिक यूनिटों की स्थापना के मामलों को छोड़कर यदाकदा दी जाती हैं । शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा एक विशिष्ट सीमा तक ही भूमि की खरीद की जा सकती है ।

केरल : केरल में जोतों के आकार छोटे हैं । किसानों द्वारा अपनी भूमि बेचने अथवा यूकिलप्टस के पेड़ लगाने के लिए उनकी भूमि को प्रयोग में लाने के बारे में कोई सूचना नहीं है । केरल में लगाये गये यूकिलप्टस के पौधों का कुल प्रतिशत उत्पादित कुल पौधों का केवल लगभग 3.4 प्रतिशत है । राज्य में मूल रूप से

विस्तृत क्षेत्रों का प्रयोग यूक्लिप्टस के पेड़ लगाने के लिए नहीं किया जाता है।

पश्चिम बंगाल : राज्य सरकार को यूक्लिप्टस के पेड़ लगाने के लिए शहरी लोगों द्वारा किसी बड़े पैमाने पर कृषि भूमि की ख़रीद की कोई जानकारी नहीं है।

दादरा व नागर हवेली : गत दो वर्षों से दादरा व नगर हवेली केन्द्र शासित क्षेत्र में यूक्लिप्टस के पेड़ लगाने को पहले ही हतोत्साहित किया गया है। छोटे तथा गरीब किसानों द्वारा अपने फार्मों में केवल फल ईंधन तथा चारे के पेड़ों के मिश्रित बागान लगाए जाते हैं।

लक्षद्वीप : बड़े पैमाने पर भूमि का कोई लेन-देन नहीं हुआ है। कोई लेन-देन केन्द्रशासित क्षेत्र में यूक्लिप्टस के पेड़ नहीं उगाए जाते हैं।

गोआ, दमन व द्वीप : इस केन्द्रशासित क्षेत्र में यूक्लिप्टस के पेड़ लगाने के लिए किसी कृषि भूमि को प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है।

असम : राज्य सरकार के पास गैर-कृषि शहरी लोगों द्वारा यूक्लिप्टस के पेड़ लगाने और कृषि भूमि को खरीदने के बारे में कोई सूचना नहीं है। जिला राजस्व प्राधिकारियों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

उड़ीसा : जानकारी एकत्र की जा रही है।

नागालैण्ड : ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं है।

(ख) उपरोक्त को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

Price of flats in Saket

3454. SHRI K. GOPALAN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Delhi High Court has directed DDA to reduce the price of its self financial flats in Saket in the recent past; if so, details thereof;

(b) how many flats were involved in this regard;

(c) whether DDA complied with directive; if not the reasons therefor;

(d) if the answer to part (c) above be in the affirmative, whether any amount has been returned to the allottees; if so, details thereof the allottees and amount returned to each allottee; and

(e) if not, whether Government propose to take disciplinary action against Member (Finance) DDA?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Yes, sir. The cost recoverable as per the Delhi High Court's order is as follows:—

Category	Cost recoverable as per the order of the High Court
	Rs.
I (With terrace)	71,100
I (without terrace)	70,100
II	87,900
III	1,19,400

(b) 720 flats.

(c) No, Sir. An appeal has been filed in the Supreme Court and the matter is subjudice.

(d) and (e) Do not arise.

समाज कल्याण बोर्डों का गठन

†3454क. **श्री शरद यादव** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के लिये कार्य करने वाले समाज सेवी संगठनों को दिल्ली प्रशासन द्वारा 80 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जाती है जबकि

†पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 2908, 3 दिसम्बर, 1986 से स्थानान्तरित।